गिरीराज

राजूलाल

राजस्व ... कोर्ट कैम्प
स्थान गोमला 14/5/16

पत्रावली पेश। प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 व 2 उपस्थित है।

उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 का कथन है कि उनके द्वारा कोई जमीन बेचान नहीं की गई है। हमारे पूर्वजों द्वारा बेचान की हो तो उन्हें जानकारी नहीं है। अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 द्वारा लोक अदालत में कथन किये कि वादग्रस्त भूमि कौनसी है, उन्हें,

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार—2016

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

पता नहीं है हमारे द्वारा वादग्रस्त भूमि हांकी नहीं जा रही है। प्रार्थी ही काबिज है।

पक्षकारान को सुना जाकर प्रकरण का अवलोकन किया। हस्ब रजिस्टर्ड बयनामा, नामान्तरकरण की छायाप्रति, साबिक व हाल छायाप्रति नकल जमाबंदी, फर्द मिलान आदि पर सम्यक चिंतन किया गया। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि का क्रय किया जाना प्रकट है।

इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी का प्रतीत होता है।

हस्ब कथन अप्रार्थीगण 1 व 2 वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण द्वारा हाँकी नहीं जा रही है इस प्रकार प्रकरण वर्णित भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा होना प्रकट हो रहा है इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर या तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | चूंकि प्रकरण वर्णित भूमि का बेचान 20.6.82 को प्रार्थी को किया जाना प्रकट हो रहा है। तथा भूमि रिकार्ड में अप्रार्थी 1 से 8 के नाम पर दर्ज है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा भूमि का बेचान कर दिया जाता है तो इससे प्रार्थी को ही क्षति होना तय है। | |
| | प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक मनन करने के उपरान्त हम यह पाते हैं कि प्रा० पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है। | |
| | अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण 1 से 8 ग्राम गोयन्दा की भूमि ख० नं० $\frac{697}{0.10}$ व $\frac{698}{0.23}$ कुल किता 2 रकबा 0.33 हेक्टर का रहन बेचान नहीं करें। मौके एवं रिकार्ड की यथा० स्थिति फैसला हूलवाद बनाये रखें। पत्रावली फैसला शुमार की जाकर हूलवाद मि.नं. 59/14 के साथ संलग्न रहे। | |
| | निर्णय आज दि० 14.5.16 को राजस्व लोक अदालत कैम्प गोयन्दा पर सुनाया गया। | |
| | (चिन्मयी गोपाल)<br>I.A.S. प्रोबे<br>उपखण्ड अधिकारी<br>रामगंजमण्डी | |